निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

23 आषाढ़ 1939 (श0)
(सं0 पटना 615) पटना, शुक्रवार, 14 जुलाई 2017

जल संसाधन विभाग

अधिसूचना
29 मई 2017

सं० 22/नि0सि0(सिवान)–11–10/2016–767—श्री राम भजन साह (आई0डी0–जे0–7997) तत्कालीन कनीय अभियंता, सारण कैनाल डिविजन, छपरा (वार्षिक माध्यमिक परीक्षा–2016 के संचालन हेतु सारण एकेडमी, छपरा के परीक्षा केन्द्र पर दण्डाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त) सम्प्रति सहायक अभियंता, शोध एवं प्रशिक्षण, प्रमंडल–3, खगौल, पटना के विरूद्ध निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–1375, दिनांक 20.09.2016 द्वारा इंटरमिडिएट एवं माध्यमिक वार्षिक परीक्षा 2016 के संचालन में बिहार सरकार एवं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा दिये गये निदेशों का अनुपालन नहीं करने, दण्डाधिकारी के रूप में निर्धारित दायित्व के निर्वाहन में लापरवाही एवं शिथिलता बरतने से संबंधित आरोप पत्र प्रपत्र–'क' प्रेषित किया गया। प्रतिवेदित आरोप पत्र प्रपत्र–'क' पर श्री साह से विभागीय पत्रांक–156, दिनांक 02.02.2017 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गयी।

श्री साह के विरूद्ध गठित आरोप पत्र में आरोप का विवरण निम्नांकित है :–

(1) बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित वार्षिक माध्यमिक परीक्षा केन्द्र सारण एकेडमी, छपरा में दिनांक 12.03.2016 को द्वितीय पाली में गणित के विषय का प्रश्न पत्र लीक होने के मामले की जाँच से स्पष्ट है कि वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2016 के संबंध में बिहार सरकार के पत्रांक 1030, दिनांक 29.12.2015 एवं पत्रांक 49 दिनांक 14.01.2016 द्वारा दिये गये निदेशों का अनुपालन नहीं किया है एवं परीक्षा केन्द्र के प्रवेश द्वार पर परीक्षार्थियों की जाँच न कर विद्यालय प्रांगण में किया गया। दिनांक 12.3.16 को प्रश्न पत्र के संबंध में घटित धटना की जानकारी लगभग 2:15 में हुई परंतु दण्डाधिकारी के रूप में इनके द्वारा किसी वरीय पदाधिकारी को सूचित नहीं किया गया जिससे स्पष्ट रूप से इनको दोषी माना जा सकता है। ये दण्डाधिकारी के रूप में सरकार के द्वारा दिये गये निदेशों का अनुपालन परीक्षा केन्द्र सारण एकेडमी में नहीं करा पाये। इस प्रकार ये अपने कर्त्तव्य के प्रति घोर लापरवाही एवं उदासीनता बरतने तथा सरकार के निदेशों की अवहेलना करने के लिए प्रथम दृष्टया दोषी हैं।

(2) इनके द्वारा बिहार सरकार द्वारा दिये गये महत्वपूर्ण निदेशों का अनुपालन नहीं किया गया एवं षडयंत्र के तहत कदाचार मुक्त परीक्षा संचालन अवरूद्ध करने का असफल प्रयास किया गया, जिसके लिए ये दोषी है।

उक्त के आलोक में श्री साह ने अपने समर्पित स्पष्टीकरण दिनांक 01.03.17 में अंकित किया है कि बिहार सरकार द्वारा निर्गत निदेशों एवं अनुदेशों का अक्षरशः पालन उनके द्वारा किया गया है। दिनांक 12.03.16 को परीक्षा केन्द्र के प्रवेश द्वार पर विद्यार्थियों की जाँच की गयी। चूँकि सारण एकेडमी छपरा के प्रवेश द्वार का सड़क संकीर्ण एवं सटे रेलवे फाटक के कारण हमेशा दुपहिया एवं चारपहिया वाहन से जाम लगा रहता है। इसलिए विधि व्यवस्था भंग न

हो इसको ध्यान में रखते हुए विद्यालय के प्रांगण में पुनः सभी परीक्षार्थियों की जाँच की जाती थी। दिनांक 12.03.2016 को प्रश्न पत्र लीक होने के संबंध में धटित धटना की जानकारी लगभग 2:15 बजे उन्हें मिली। इस घटना को तुरंत वरीय पदाधिकारियों को सूचित करने हेतु केन्द्राधीक्षक से अनुरोध किया। प्रश्न पत्र खोलने से पूर्व केन्द्राधीक्षक एवं वीक्षक से हस्ताक्षर करवाया गया। प्रश्न पत्र खोले जाने संबंधी प्रमाण पत्र जिन पर केन्द्राधीक्षक एवं वीक्षक संलग्न की गयी है। श्री साह ने स्पष्टीकरण में प्रपत्र–'क' में लगाये गये आरोपों को खंडन करते हुए आरोप मुक्त करने का आग्रह किया है।

श्री साह द्वारा समर्पित द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी। समीक्षा में पाया गया कि श्री साह ने अपने स्पष्टीकरण में इस बात का उल्लेख किया है कि बिहार सरकार द्वारा निर्गत निदेशों का अक्षरशः अनुपालन उनके द्वारा किया गया है। परीक्षा केन्द्र पर परीक्षार्थियों की जाँच नहीं करने के संबंध में कहा गया है कि सड़क संकीर्ण होने पर रेलवे फाटक के कारण दुपहिया एवं चार पहिया वाहनों के कारण उत्पन्न जाम की समस्या के कारण विद्यालय प्रांगण में परीक्षार्थियों की जाँच की जाती थी। प्रश्न पत्र लीक मामले की जाँच निदेशक, माध्यमिक शिक्षा द्वारा की गई है। जाँच प्रतिवेदन में स्पष्ट किया गया है कि समिति के ज्ञापांक –के0–73, दिनांक 08.03.2016 द्वारा विज्ञापन के माध्यम से यह स्पष्ट निदेश दिया गया था कि केन्द्राधीक्षक, परीक्षा के मुख्य द्वार पर ही परीक्षार्थियों की विधिवत जाँच कर ली जाय। परंतु ऐसा नहीं किया गया। इस प्रकार श्री साह परीक्षा केन्द्र पर परीक्षार्थियों की जाँच नहीं करवाने के लिए दोषी है। अतः इस बिन्दु पर श्री साह का स्पष्टीकरण स्वीकारयोग्य नहीं है।

वर्णित स्थिति में अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा सम्यक विचारोपरांत श्री राम भजन साह (आई0डी0–जे0–7997) तत्कालीन कनीय अभियंता, सारण कैनाल डिविजन, छपरा सम्प्रति सहायक अभियंता, शोध एवं प्रशिक्षण प्रमंडल–3, खगौल, पटना के विरूद्ध "दो वेतनवृद्धियों पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक" का दण्ड देने का निर्णय लिया गया है।

उक्त निर्णय के आलोक में श्री राम भजन साह (आई0डी0–जे0–7997) तत्कालीन कनीय अभियंता, सारण कैनाल डिविजन, छपरा सम्प्रति सहायक अभियंता, शोध एवं प्रशिक्षण प्रमंडल–3, खगौल, पटना के विरूद्ध निम्न दण्ड अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है :–

"दो वेतनवृद्धियों पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक"

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
जीउत सिंह,
सरकार के संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
बिहार गजट (असाधारण)615-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in